

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाडा जिला जोधपुर

व इजलास- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

सुजानसिंह

सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल.आर.एक्ट


प्रकरण संख्या :- 617/2025

--:आदेश:-

दिनांक:-

प्रार्थी सुजानसिंह पुत्र छोटाराम जाति सीरवी निवासी भावी तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकॉर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जांच हेतु तहसीलदार बिलाडा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाडा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाडा ने अवगत करवाया है कि राजस्व ग्राम भावी की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 104 के खसरा नंबर 4262 में दर्ज अशुद्ध नाम सुजानराम पुत्र छोटाराम जाति जाट निवासी भावी का शुद्ध विवरण सुजानसिंह पुत्र छोटाराम जाति माली निवासी भावी की राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। अतः तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



मृदुला शेखावत  
(मृदुला शेखावत)  
उपखण्ड अधिकारी,  
एवं उच्च बिलाडा  
बिलाडा